विधिक प्रक्रिया अपनाये वाकियात की भूल से सहवन से ग्राम अड़वड़ तहसील जायल के खाता संख्या 135 व खाता संख्या 136 में वर्णित भूमि का फौतगी नामान्तकरण संख्या 1244 दिनांक 05.12.2019 स्वीकृत कर दिया गया, जबकि खाता संख्या 135 रेस्पोडेन्ट के पिता/पति के नाम दर्ज था खाता संख्या 136 अपीलान्ट स्वयं के नाम तथा जीवित है। हमारी राय में उक्त नामान्तकरण अपीलान्ट स्वयं का नाम तथा रेस्पोडेन्ट के पिता/पति का नाम एक समान होने से खाता संख्या 135, 136 में वर्णित भूमि में उतराधिकारियों का नामानतकरण दर्ज किया जाना मात्र भूलवशः हुआ है। अतः हम उक्त प्रक्रियागत खामी के चलते तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता/पति का नाम, पता एक समान होने से ग्राम पंचायत तरनाऊ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सहवन से स्वीकृत किया जाना प्रतीत है, जो नामान्तकरण संख्या 1244/05.12.2019 अपास्त किया जाना न्यायसंगत है।

— : : आदेश : :—

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 1244 दिनांक 05.12.2019 ग्राम पंचायत तरनाऊ अपीलार्थी स्वयं का नाम पिता का नाम, पता तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 के पिता/पति का भी नाम व पता एक समान होने से भूलवशः दर्ज किया गया फौतगी नामान्तकरण गलत इन्द्राज होने से खाता संख्या 136 में वर्णित खसरान् 757, 811, 989/37 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है वे नये सिरे से पुनः नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करे।

`यह आदेश आज दिनांक 29/9/2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner